संयुक्त निदेशक का कार्यालय

बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,

जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद पटना ।

कोटेशन आमंत्रण सूचना

संख्या-WRD/FMISC/NHP-B(SW)/IFQ/01/2017-18-309 पटना दिनांक-03/05/2017

नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (NHP), Bihar Surface Water Components के कार्यान्वयन हेतु निबंधित संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/वाहन मालिकों से तीन अद्द ए०सी० स्कॉरपियो वाहन दैनिक/ मासिक भाड़े पर परिचालन हेतु सभी कर सहित मुहरवंद कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. कोटेशनकर्त्ता:- संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना ।
2. कोटेशन प्राप्ति का स्थान:- बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, द्वितीय तल, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-800002
3. कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि:- दिनांक-26/05/2017 के अपराह्न 3:00 बजे तक ।
4. कोटेशन खोलने की तिथि:- दिनांक-26/05/2017 के अपराह्न 3:30 बजे (प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष) ।

नियम एवं शर्तें निम्नवत है :-

i. कोटेशनदाता Car Rental/ Travel Agency/Firms के रूप में प्राधिकृत संस्थानों से निबंधित हों तथा जिनके पास वैध PAN उपलब्ध हो अथवा व्यक्तिगत रूप से वाहन मालिक भी इस कोटेशन में भाग ले सकते है ।

ii. एजेन्सी का वाहन अधिकतम तीन साल से अधिक पुरानी नहीं हो तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु निबंधित हो ।

iii. वाहन का किराया सभी कर सहित दैनिक एवं मासिक दोनो दर (flat rate) उद्धृत करेंगे ।

iv. भाड़े के वाहन के रख-रखाव एवं चालक के भुगतान का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा एवं वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से रखना होगा ।

v. ईधन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा ।

vi. तीनों वाहनों से संबंधित सभी कागजात यथा निबंधन टैक्स/बीमा कागजात आदि मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अद्यतन होना चाहिए एवं जिसकी देयता की जिम्मेवारी पूर्णतया वाहन मालिक की होगी ।

vii. सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत वैकल्पिक वाहन उपलब्ध करायेंगे । अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस (अवधि) के भाड़े का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

viii. भाड़े पर लिए गए वाहन की अवधि एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष तक लिए होगी । तत्पश्चात अवधि विस्तार हेतु एकरारनामा के नवीनीकरण पर विचार किया जा सकता है ।

ix. संतोषजनक सेवा नही रहने की स्थिति में एक माह के नोटिस पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है ।

x. संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना निविदा अस्वीकृत करने तथा एक से अधिक निविदा स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रहेगा ।

xi. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी तीनों वाहनों से संबंधित सभी कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के सहित सादे कागज पर लिखित आवेदन के साथ संलग्न करते हुए दिनांक-26.05.2017 के अपराह्न 3.00 बजें तक मुहरवंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे ।

xii. निविदादाता एक शपथ पत्र भी देंगे जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि (1) जो भी ड्राईवर गाड़ी से संलग्न रहेगा उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा और (2) जिस गाड़ी की भी सेवा दी जायगी, उस पर किसी प्रकार का पुलिस या न्यायालय में कोई मामला लंवित नहीं हो ।

xiii. निविदा का evaluation मासिक दर के आधार पर किया जाएगा ।

xiv. वाहनों का उपयोग आवश्यकतानुसार कभी भी किया जा सकता है ।

xv. सशर्त निविदा अमान्य होगी ।

xvi. किसी भी विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

03/5/17

(णगण प्रसाद)

संयुक्त निदेशक

c:\users\node03\desktop\hindi letter 2017.docx